



2026:AHC:7042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19344 वर्ष 2025

सचिन कुमार चौहान

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

अवधेश कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार उपाध्याय और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना दूसरे प्रतिवादी को अलीगढ़ से मेरठ स्थानांतरित करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता काम कर रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रतिवादी, आयुक्त और सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, धारा-12, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को **22.01.2026** तक दूसरे प्रतिवादी, आयुक्त और सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, धारा-12, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तत्पश्चात, दूसरा प्रतिवादी दो माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा।
5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।